कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1068 / सम्पदा ई–पंजीयन – 99 / 2015 भोपाल, दिनांक 19.08.2015

प्रति

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय – सम्पदा ई–पंजीयन के परिप्रेक्ष्य में इक्वीटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेजों / घोषणा पत्रों हेतु अपनायी जाने वाली तथा ऐसे दस्तावेजों, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, पर स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने संबंधी वैकल्पिक प्रक्रिया।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सम्पदा ई–पंजीयन के अन्तर्गत बैंकों आदि के पक्ष में निष्पादित इक्वीटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेजों / घोषणा पत्रों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार विधिक विकल्प उपलब्ध हैं –

1. **पहला विकल्प –** इक्वीटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेज को सम्पदा एप्लीकेशन के अन्तर्गत तैयार कर उसका ई–पंजीयन करा लिया जाए। ऐसी स्थिति में दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का भुगतान ई–स्टाम्पिंग द्वारा किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुच्छेद–तीन (ण) के अनुसार इक्वीटेबल मॉर्टगेज से संबंधित दस्तावेज की रजिस्ट्री हेतु मात्र 1,000 रूपए रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारित की गयी है, जो सम्पदा से ऑनलाईन भुगतान की जा सकती है।

2. **दूसरा विकल्प** – इक्वीटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेज को सादे कागज पर लिख कर उस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की राशि चालान से संबंधित बैंक में जमा कर दस्तावेज पर उप पंजीयक का तदाशय का प्रमाण पत्र अंकित करा लिया जाए अथवा उक्त राशि फ्रैंक करा ली जाए और तत्पश्चात् दस्तावेज से संबंधित घोषणा–पत्र विधिक प्रावधानों के अनुरूप उप पंजीयक कार्यालय में मैनुअली फाईल कर दिया जाए। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में विभाग द्वारा फ्रैंकिंग मशीनें उपलब्ध करायी गयी हैं।

ऐसे दस्तावेजों, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, पर स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने संबंधी वैकल्पिक प्रकिया – भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 10 के अनुसार स्टाम्प शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन द्वारा अथवा प्राधिकृत बैंक में चालान द्वारा नकद में भी किया जा सकता है और चालान के सत्यापन उपरान्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेज पर प्रमाण–पत्र पृष्ठांकित कर स्टाम्प शुल्क उपदर्शित कर दिया जाता है। बैंक गारन्टी, फ्रैन्चाईज एग्रीमेन्ट, हायपोथिकेशन, बॉण्ड जैसे अनेक दस्तावेजों, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, पर उक्त वैकल्पिक प्रक्रिया अनुसार स्टाम्प शुल्क चुकाया जा सकता है।

कृपया उपर्युक्त संबंध में सभी संबंधितों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन कमांक 1069/ सम्पदा ई–पंजीयन – 99/2015 भोपाल, दिनांक 19.08.2015

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर एवं कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।